Date : 20 फ़रवरी 2023

नेपोलियन और रूस

संदर्भ- हाल ही में यूक्रेन के खिलाफ रूस की हार का आवाहन करने के बाद रूस ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन को **रूस के विरुद्ध नेपोलियन की हार** याद दिलाई।

नेपोलियन–

नेपोलियन, यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। नेपोलियन, फ्रांस की क्रांति में सेनापति 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक काउंसलर इसके बाद फ्रांस के सम्राट का पद ग्रहण किया। 1803-1817 तक लगभग 60 युद्ध उसके द्वारा लड़े गए। आगंभ में उसकी लगातार विजय हुई किंतु रूस के साथ उसके युद्ध (1812) के बाद फ्रांस का पतन होना प्रारंभ हो गया।

फ्रांस रूस युद्ध की पृष्ठभूमि

नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांस ने यूरोप के लगभग सभी देशों को जीत लिया था। फलतः फ्रांस को पराजित करने के लिए तृतीय गुट जिसमें इंग्लैण्ड, रूस व ऑस्ट्रिया जैसे देश थे, का उद्भव हुआ। इन प्रयासों को निष्फल करने के लिए नेपोलियन ने इंग्लैण्ड व ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया। ऑस्ट्रिया, जिसे रूस का समर्थन प्राप्त था, को पराजित किया किंतु इंग्लैण्ड की नौसेना से ट्रफलगार के युद्ध में पराजित हो गया। अब तृतीय गुट में केवल इंग्लैण्ड व रूस शेष थे जो नेपोलियन के विरुद्ध थे।

8 जनवरी 1807 को नेपोलियन व रूस की सेना को मध्य आइलो नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसे **फ्रीडलैण्ड का युद्ध** भी कहा जाता है। 14 जून 1807 को फ्रांस की सेना ने रूस को पराजित कर दिया। और 8 जुलाई 1807 को **फ्रांस**, रूस व प्रशा के मध्य टिलसिट की संधि हुई।

टिलसिट की संधि-

- अपने प्रभाव के विस्तार के लिए फ्रांस को पश्चिमी क्षेत्र व रूस को पूर्वी क्षेत्र प्राप्त हुआ। इसमें रूस को तुर्की व फिनलैण्ड की ओर राज्य विस्तार की छूट प्राप्त हुई।
- रूस को तुर्कों से छीनी गया बैसरेविया और दक्षिण पूर्व स्थित तुर्की के अधिकृत क्षेत्र भी रहने दिए गए।
- ग्रांड डची का अधिकांश क्षेत्र रुस को प्राप्त हो गया।
- फ्रांस, रूस से कोई युद्ध क्षतिपूर्ति नहीं लेगा।
- रूस के सम्राट जार अलैक्जेंडर ने, नेपोलियन द्वारा निर्मित राज्यों को मान्यता दे दी।.

- जार ने रूस व इंग्लैण्ड के मध्य मध्यस्थता करने का वचन दिया। इंग्लैण्ड द्वारा समझौता करने में सहयोग न करने पर रूस फ्रांस के साथ मिलकर इंग्लैण्ड के विरुद्ध युद्ध करेगा।
- डेनमार्क, स्वीडन व पुर्तगाल पर भी इंग्लैण्ड से युद्ध करने के लिए दबाव डाला जाएगा।
- नेपोलियन तुर्की व रूस में परस्पर मतभेदों के निवारण में भागीदारी करेगा, तुर्की के सहयोग न करने की स्थिति में तुर्की साम्राज्य को विभाजित कर हस्तगत कर लिया जाएगा।
- नेपोलियन की महाद्वीपीय नाकाबंदी को रूस द्वारा समर्थन देना।

नेपोलियन का पुनः रूस पर आक्रमण – महाद्वीपीय नाकाबंदी के कारण रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँच रहा था। 1810 में रूस के जार ने फ्रांस के एकमात्र विरोधी इंग्लैण्ड के साथ मुक्त व्यापार शुरु किया। जिस कारण नेपोलियन ने अपनी आर्मी के 6 लाख सैनिकों को जार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। किंतु आक्रमण असफल रहा।

रूस के समक्ष नेपोलियन की असफलता के कारण

- नेपोलियन को अपनी विश्वविजेता आर्मी पर भरोसा था, उसने 6 लाख की आर्मी को रूस आक्रमण करने हेतु भेजा। किंतु रूस की सेना ने कूटनीति से काम लिया और सेना पीछे हट गई। जिससे फ्रांसीसी सैनिकों को अधिक दूरी तय करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, युद्ध क्षेत्र तक पहुँचने तक उनकी खाद्य सामग्री समाप्त हो चुकी थी। और स्थानीय क्षेत्र से खाद्य प्राप्त करने के लिए जार ने फसलों को जला दिया था। रूस के सड़कों की हालत बेहद खराब होने के कारण वे सामग्री प्राप्त करने में असमर्थ थे।
- नेपोलियन के सैनिक भूख, थकान व अतिसार जैसे रोगों से पीड़ित होने लगे। जब तक फ्रांसीसियों ने मास्को पर कब्जा किया तब तक 2 लाख से अधिक फ्रांसीसी सैनिक मर चुके थे व इससे भी अधिक सैनिक अस्पतालों में भर्ती में हो चुके थे।
- भूख व रोगों के अतिरिक्त रूस की ठण्ड फ्रांसीसी सैनिक सहन न कर पाए ऐसे में लाखों सैनिक व घोड़ों की मृत्यु हो गई। फ्रांसीसी सैनिकों का संघर्ष रूस के सैनिकों से पहले परस्पर घोड़ों के मांस के लिए होता था। स्थिति भयानक हो गई थी।
- नेपोलियन की किसी भी वार्ता में जार ने सहयोग न दिया जिस कारण नेपोलियन को फ्रांसीसी सैनिकों को वापस लौटने का आदेश देना पड़ा। इसे फ्रांस की असफल विजय भी कहा जाता है।

असफलता के परिणाम

- रूस पर नेपोलियन की असफल विजय ने शेष यूरोप को उसके विरुद्ध एकजुट कर दिया। 1813 में, ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, पुर्तगाल, स्वीडन और कई जर्मन राज्य अपनी सेना में शामिल हो गए और फ्रांस के खिलाफ युद्ध में चले गए। यह छठे गठबंधन के युद्ध के रूप में जाना जाता है, नेपोलियन की हार के साथ समाप्त हुआ। जिसके बाद नेपोलियन निर्वासन में चला गया।
- वह 1815 में फ्रांस में थोड़े समय के लिए सत्ता में लौटे, लेकिन सातवें गठबंधन के युद्ध के दौरान वाटरलू की लड़ाई हारने के बाद उन्हें दूसरी बार अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। नेपोलियन को अटलांटिक के दूरस्थ द्वीप सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था, जहां 1821 में उसकी मृत्यु हो गई।

गुंजन जोशी

उपाध्यक्ष की नियुक्ति

संदर्भ- हाल ही में सर्वोच्च **न्यायालय** ने उपाध्यक्ष की नियुक्ति हेतु लोकसभा व 5 विधानसभाओं को नोटिस जारी किया है। जिसमें उत्तराखण्ड, उत्तर **प्रदेश**, राजस्थान, मध्य प्रदेश व झारखण्ड उपाध्यक्ष के चुनाव कराने में विफल रहे हैं। प्रस्तुत याचिका के अनुसार 5 विधानसभाओं में अंतिम **बारउपाध्यक्ष** के पद का गठन लगभग चार साल पहले गठित किया गया था।

उपाध्यक्ष पद की संवैधानिक स्थिति

- अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा यथाशीघ्र अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पदों का चुनाव करेगी और जब जब पद **रिक्त** होता है लोकसभा किसी अन्य **सदस्य** को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद हेतु चुनेगी।
- अनुच्छेद 178 राज्यों की **प्रत्येक** विधानसभा के किन्हीं दो सदस्यों को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए चयनित करेगी।
- अतः लोकसभा व विधानसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद अनिवार्य है।

उपाध्यक्ष के चुनाव का समय

- संविधान के अनुच्छेद 93 और 178 में निश्चित तिथि का उल्लेख नहीं है किंतु यह तुरंत पद का चुनाव तुरंत करन की ओर इंगित करता है।
- व्यावहारिक तौर पर अध्यक्ष पद का चुनाव पहले सत्र व उपाध्यक्ष का चुनाव दूसरे सत्र में किया जाता है। वास्तविक व **अपरिहार्य** बाधाओं के अभाव में देरी नहीं होती है।
- लोकसभा के कार्यसंचालन का कार्य लोकसभा के नियम 8 के आधार पर किया जा सकता है। उपाध्यक्ष के चुनाव का समय नियम 8 के आधार पर **अध्यक्ष** द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक बार सदन में नाम प्रस्तावित करने के बाद **उपाध्यक्ष** का चुनाव किया जा सकता है।

पद से त्याग

अनुच्छेद 94 के तहत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, सदन के सदस्य नहीं रहने पर अपना पद खाली कर देंगे। अध्यक्ष, अपने पद का त्याग उपाध्यक्ष को संबोधित लेख में हस्ताक्षरित कर किया जा सकेगा। उसी प्रकार उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को ज्ञापित करेगा।

लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। किंतु यह प्रस्तावित नहीं किया जाएगा यदि 14 दिन पहले इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को न दे दी जाए।

लोकसभा के विघटन के समय लोकसभा के प्रथम अधिवेशन तक अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा नहीं देगा।

उपाध्यक्ष पद के कार्य- उपाध्यक्ष के कार्य, अध्यक्ष के कार्य के समान ही हैं।

- सदन की कार्यवाही को संचालित करता है।
- लोकसभा उपाध्यक्ष बजट समिति का सदस्य होता है।
- आवश्यकता पड़ने पर सदन के किसी सदस्य को निलंबित करने का अधिकार है।
- लोकसभा उपाध्यक्ष सचिवालय के खर्चों का ब्यौरा वित्त मंत्रालय को भेजता है और वित्त प्राप्त करता है।
- अध्यक्ष के अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त कार्यों को उपाध्यक्ष द्वारा संचालित किया जाता है।
- किसी भी प्रस्ताव या संकल्प को अस्वीकार करने का अधिकार।
- पद से हटाने के प्रस्ताव के समय उसको सदन में बोलने का अधिकार है।
- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा लिए गए किसी फैसले के खिलाफ अध्यक्ष से कोई अपील नहीं की जा सकती है।

उपाध्यक्ष के चुनाव में देरी पर न्यायालय

- सितंबर 2021 में उपाध्यक्ष के चुनाव में देरी के कारण अनुच्छेद 93 का उल्लंघन के मामले में याचिका दायर की गई थी किंतु न्यायालय ने विधायिका में उपाध्यक्ष चुनने के लिए कोई बाध्यकारी निर्णय़ नहीं दिया है।
- अदालतें आमतौर पर संसद के प्रक्रियात्मक संचालन में हस्तक्षेप नहीं करती हैं। अनुच्छेद 122 (1) कहता है कि संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्न में नहीं बुलाई जाएगी।
- न्यायालयों के पास कम से कम इस बात का अधिकार है कि वे सदन से अध्यक्षों या उपाध्यक्षों के चुनाव में देरी के लिए प्रश्न कर सकें, क्योंकि संविधान जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए निर्देशित है।

गुंजन जोशी